

मध्यप्रदेश विधान सभा



दिसम्बर, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 13, 1947)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जगदीश देवडा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन 2025 का प्रतिवेदन संख्या 4 (अनुपालन लेखापरीक्षा-वाणिज्यिक) एवं

(ii) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2024-2025 (खण्ड-I एवं खण्ड-II) एवं विनियोग लेखे वर्ष 2024-2025 तथा

(ख) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 130 (क) की उपधारा (2) एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 122 (क) (2) की अपेक्षानुसार नगरीय निकायों पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा मध्यप्रदेश का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 एवं

(ग) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत बनाये गये नियम 2006 की कंडिका-9 की अपेक्षानुसार -

(i) वित्तीय वर्ष 2024-2025 की द्वितीय छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छःमाही समीक्षा विवरण तथा

(ii) वित्तीय वर्ष 2025-2026 की प्रथम छःमाही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छःमाही समीक्षा विवरण तथा पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री उदय प्रताप सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 212 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार निम्नांकित अधिसूचनाएः-

(क) क्रमांक 3.3-4-0001-2022-Sec-1-आठ (TRP)भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 2025 तथा

(ख) क्रमांक 3623/973078/2022/आठ, भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर, 2025

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री पर्यावरण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) -

(क) खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला मण्डला, सीधी, नरसिंहपुर, रायसेन, आगर-मालवा, अशोकनगर, हरदा, जबलपुर एवं सागर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 तथा जिला मण्डला, झावुआ, नरसिंहपुर, दमोह, सीहोर, रायसेन, सागर, आगर-मालवा, अशोकनगर, हरदा एवं जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 तथा जिला नीमच, सीहोर, रायसेन एवं जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2016-2017 (वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2017 के लिए) पटल पर रखेंगे.

(6) श्री नारायण सिंह कुशवाह, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, दिव्यांगजन, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामों एवं टोलों में विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री प्रणय प्रभात पांडे, डॉ. अभिलाष पाण्डे, श्री संदीप जायसवाल, सदस्य, कटनी की हाउसिंग बोर्ड कालोनी में व्यापारी के घर हुई आगजनी के संबंध में गैर जमानती गलत धाराएं लगाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 36-खुरई से निर्वाचित सदस्य, श्री भूपेन्द्र सिंह एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 82-धौहनी (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री कुंवर सिंह टेकाम को विधान सभा के दिसम्बर, 2025 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पष्ठम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि –

“सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पष्ठम् प्रतिवेदन से सहमत है।”

(2) श्री भंवरसिंह शेखावत, सभापति, लोक लेखा समिति का अड्सठवां से सतासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री कैलाश कुशवाहा, सदस्य, शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत खरईडाबर हरई रोड रामपुरा से गिरमानी तक डामरीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य, मुरैना जिले के एम. एस. रोड जौरा से दुर्गापुरी कालोनी तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(3) श्री विजय रेवनाथ चौरे, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम सेमाठाना से बीसापुर कला तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(4) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम भंडारपुर से चाँवड़ी मार्ग एवं उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराये जाने,

(5) डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्र. 18 अंतर्गत अनिल भाटिया आवासीय परिसर शताब्दीपुरम फेस-2 में अमृत योजना के तहत नवीन सीवर लाईन एवं पानी की लाईन डलवाये जाने,

(6) श्री मथुरालाल डामर, सदस्य, रतलाम जिले की ग्राम पंचायत सरवड अंतर्गत प्रीतमनगर व दंतोड़ीया मार्ग स्थित हाई एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल में भवन का निर्माण कराये जाने,

(7) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य, मंडला जिले के ग्राम इमलिया से अंजनिया मुख्य मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(8) श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, सदस्य, सीहोर जिले के ग्राम कुरावर में दूधी नदी पर स्टाप डेम का निर्माण कराये जाने,

(9) श्री भैरो सिंह बापू, सदस्य, आगर-मालवा जिले के ग्राम चौसठ माता मंदिर के प्रांगण में बिजली के खम्भे एवं तार डलवाये जाने,

(10) श्री मुकेश टंडन, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम मूढ़रा दुर्जन शाल से पहों पड़रिया की ओर पक्की सड़क व पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(11) श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, निवाड़ी जिले की ग्राम पंचायत चिरपुरा से प्राथमिक शाला हंसाई खिरक तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(12) श्री सुरेश राजे, सदस्य, ग्वालियर जिले की ग्राम पंचायत चरोली में डामरीकृत रोड का निर्माण कराये जाने,

(13) श्री साहब सिंह गुर्जर, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम रौरा में पुलिया एवं सड़क का निर्माण कराये जाने,

(14) श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य, अलीराजपुर जिले की ग्राम वावड़ी मावडा अंतर्गत शमशान घाट में पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(15) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले की ग्राम पंचायत मुण्डला के लसुडीहाड़ा तालाब को पुर्नजीवित करवाये जाने,

(16) श्री विपीन जैन, सदस्य, मंदसौर जिले के रेवास देवडा हायर सेकेण्ड्री स्कूल परिसर में ओपन जिम की स्थापना कराये जाने,

(17) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य, छतरपुर जिले के बनगाय से द्विलमिल मार्ग में उर्मिल नदी पर जल मग्निया पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(18) श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी, सदस्य, मैहर जिले की ग्राम पंचायत तिदुहरा की तिदुहरी बस्ती में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,

(19) श्री मोंटू सोलंकी, सदस्य, बड़वानी जिले के सेंधवा अंतर्गत खेल अकादमी आरंभ कराये जाने,

(20) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य, धार जिले की ग्राम पंचायत धरमराय के डावरपुरा में बिजली ट्रांसफार्मर एवं पोल लगवाये जाने,

(21) श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया, सदस्य, नरसिंहपुर जिले में मां नर्मदा तट (ब्राम्हण घाट) वरमान में लगने वाले मेले को सांस्कृतिक मेला घोषित कराये जाने,

(22) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिले के बनौली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नवीन भवन की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,

(23) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के केन-बेतवा लिंक परियोजना से चंदेल कालीन तालाबों को जोड़े जाने,

(24) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य, अनूपपुर जिले के चंदास डायर्सन में पोडी से दुलहा तालाब दुलहरा तक पक्की नाली का निर्माण कराये जाने,

(25) श्री अनिल जैन (निवाड़ी), सदस्य, निवाड़ी जिले के घुघुवा मार्ग से हरपुरा मजरा एवं मडोरी होते हुए कुलुआ मेन रोड तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(26) डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य, धार जिले के ग्राम पंचायत चौकी में सड़क निर्माण कार्य कराये जाने,

(27) इंजीनियर प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम कपूरिया में शासकीय प्राथ. शाला के नवीन भवन निर्माण कराये जाने,

(28) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम बिचुआ से ज्ञान मंगलम स्कूल होकर खिरहनी भगनवारा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(29) श्री राजन मण्डलोई, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम गुड़ी से गातावारा तक पक्की सड़क बनवाये जाने,

(30) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम नलखेड़ा से बोरदिया तक सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत कराये जाने,

(31) श्री विक्रम सिंह (विक्की), सदस्य, सतना जिले के ग्राम कुण्णगढ़ की आदिवासी बस्ती से शमशान घाट तक सड़क एवं पुलिया निर्माण कराये जाने,

(32) श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम गंधारी डेरा से हाइवे ग्वालियर-झांसी मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(33) श्री बृजबिहारी पटैरिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम देवरी से टिकारिया एवं अन्य ग्रामों से होते हुये डोभी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(34) श्री मुकेश मल्होत्रा, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम बैनीपुरा में अगरा-विजयपुर मार्ग का डामरीकरण व सी.सी. रोड स्वीकृत कराये जाने,

(35) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, सागर शहर के पुरब्बाऊ वार्ड में कैची ब्रांच से दूवा मैदान तक सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

(36) श्री अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के नगर पंचायत सेमरिया में शासकीय आई.टी.आई. कॉलेज संचालित कराये जाने,

(37) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम मार्टण्डगंज से हनुमंतिया एवं पेटलावद मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,

(38) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य, सतना जिले के ग्राम अकौना जैतवार से तुही मेन रोड का निर्माण कराये जाने,

(39) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम छिजौरा में आंगनवाड़ी भवन बनवाये जाने,

(40) श्री दिनेश गुर्जर, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम गुलेन्द्रा नाऊपुरा में सड़क निर्माण कराये जाने,

(41) श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य, ग्वालियर जिले के ग्राम सिमरियाटांका विकासखण्ड घाटीगांव में स्थित तलैया की पार की मरम्मत कराये जाने,

(42) श्रीमती अनुभा मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के लालबर्रा अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ नियुक्त कराये जाने,

(43) श्री श्याम बरडे, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम पुजारा फल्या घोड़ल्यापानी से गुराडपानी महाराष्ट्र बॉर्डर तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(44) श्री राजकुमार मेव, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम नवलपुरा से मलक्ष्याखेड़ी तक डामरीकृत मार्ग स्वीकृति कराये जाने,

(45) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम नंदनपुर से ककरदहा तक सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

(46) श्री सचिन बिरला, सदस्य, खरगोन जिले की ग्राम पंचायत मोगावा से सिपानी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(47) श्री सचिन सुभाषचंद्र यादव, सदस्य, खरगोन जिले के बेड़ी फाल्या रेहगांव से बंजारीदेवला तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(48) श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम समथरा से धरमपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(49) श्री हजारीलाल दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के शासकीय हाई स्कूल भाटखेड़ा में हाई स्कूल भवन एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराये जाने,

(50) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के शासकीय एकीकृत हाईस्कूल जावती का भवन निर्माण कराये जाने,

(51) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के नगर सेवद्वा एवं नगर इंदरगढ़ में आयुष औषधालय खुलवाये जाने,

(52) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के पलेरा में नवीन एस.डी.एम. कोर्ट प्रारंभ कराये जाने,

(53) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के मद्धावली तिराहे से मजरा रामनगर तक ग्रेवल रोड का निर्माण कराये जाने,

(54) श्री घनश्याम चन्द्रवंशी, सदस्य, शाजापुर जिले के कालापीपल नगर में राजस्व अनुभाग खुलवाये जाने,

(55) सुश्री रामश्री राजपूत (बहिन रामसिया भारती), सदस्य, छतरपुर जिले की ग्राम पंचायत खरदूती में अनुसूचित जाति बस्ती से पिपरी घाट तक सड़क एवं पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(56) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के भोमा कन्या शासकीय हाई स्कूल का हायर सेकेन्ड्री स्कूल में उन्नयन कराये जाने,

(57) श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य, भिण्ड जिले के शासकीय विद्यालय विजयगढ़ एवं अन्य विद्यालयों को हाई स्कूल में उन्नयन कराये जाने,

(58) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम कुंडलीखुर्द से मानकादेही खुर्द तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

- (59) श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य, रायसेन जिले के बेगमगंज नगर में ऑडिटोरियम का निर्माण कराये जाने,
- (60) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के सरदारपुर अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में 24 घण्टे विद्युत वितरण कराये जाने,
- (61) श्री विवेक विक्की पटेल, सदस्य, बालाघाट जिले के वारासिवनी में कोशरीटोला से मुरझर तक बी.टी. रोड निर्माण कराये जाने,
- (62) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, मऊगंज जिले के ग्राम शिवगढ़ अंतर्गत गोरमा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,
- (63) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा, सदस्य, नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में प्रस्तावित मोरड गंजाल डेम से वंचित ग्रामों की सिंचाई व्यवस्था कराये जाने,
- (64) श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, सदस्य, अशोकनगर जिले के ग्राम सिरनी से जिला शिवपुरी कुटवारा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (65) श्री कामाख्या प्रताप सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के थाना नौगांव का नया भवन बनवाये जाने,
- (66) श्री वीरसिंह भूरिया, सदस्य, झावुआ जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के समीप नगर परिषद् द्वारा फेके जा रहे कचरे को बंद कराये जाने,
- (67) श्री विजयपाल सिंह, सदस्य, नर्मदापुरम जिले के माखननगर से सोनतलाई मरोड़ के मध्य तवा नदी पर ब्रिज का निर्माण कराये जाने,
- (68) श्री केदार चिडाभाई डावर, सदस्य, खरगोन जिले के धुलकोट से कान्यापानी तक एवं अन्य ग्रामों की सड़कों का निर्माण कराये जाने,
- (69) श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उड़ीके, सदस्य, बैतूल जिले के झोली न.01 से लक्ष्मीपुर जोड़ तक प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (70) श्री बाला बच्चन, सदस्य, बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत नागलवाड़ी में भटवाड़ी फल्या से स्कूल तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (71) श्री गौरव सिंह पारखी, सदस्य, बालाघाट जिले के ग्राम बासी से टेकाड़ी मार्ग का निर्माण कराये जाने, के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित
समय

7. वित्तीय विधि विषयक कार्य

(क) द्वितीय अनुपूरक अनुमान (वर्ष 2025-2026) की मांगों पर मतदान

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे,-

“दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 53 एवं 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तेरह हजार एक सौ पचपन करोड़, चौरानवे लाख, इक्यासी हजार, पिचासी रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.”.

(2) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2025 (क्रमांक 21 सन् 2025) का *पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(ख) आधिक्य व्यय (वर्ष 2011-2012) की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), प्रस्ताव करेंगे,-

“दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 33, 15, 52 एवं 74 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक सौ पैंतीस करोड़, सात लाख, इक्यासी हजार, पांच सौ सेंतालीस रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाए.”

(2) श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2025 (क्रमांक 22 सन् 2025) का **पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

भोपाल :

दिनांक : 3 दिसम्बर, 2025

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

* अनुपूरक अनुमान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.

** आधिक्य व्यय की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरंत पश्चात्.